फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - सर्विलांस सेल

दिनांक :- 27.01.2025

सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा/खोये हुये कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन(अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रू0) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** के नेतृत्व में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों व विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र जिन्हें सर्विलांस पर लगा कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिन्हें सर्विलांस सेल द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किये गये।

आज दिनांक 27.01.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** द्वारा गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन के वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामियों द्वारा सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा आम जनमानस द्वारा इस सराहनीय कार्य हेतु फतेहगढ़ पुलिस की प्रशंसा की जा रही है।

बरामद किये गये मोबाइल फोन का विवरण-

1. **101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब 23 लाख रु0)**

बरामद करने वाली सर्विलांस सेल टीमः-

1. **उ0नि0 दीपक कुमार भाटी**
2. **हे0का0 संदीप राव**
3. **हे0का0 करन सिंह**
4. **हे0का0 अनुराग कुमार**
5. **हे0का0 सचेन्द्र सिंह**
6. **का0 राहुल शर्मा**

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 27.01.2025

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 16/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों को लूटे हुये एक मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन,श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डॉ0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री संजय वर्मा** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0** 0016/25 धारा **309(4)/ 317(2)** बी0एन0एस बनाम अज्ञात से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 मोबाइल रियलमी 11 **x5G** रंग काला।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री शंकरलाल निवासी दमदमा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि साईकल से तन्दूरी पैलेस के पास से होते हुए घर जाते समय तन्दूरी पैलेस के पास पीछे से 2 मोटर साइकल (पल्सर ब्लेक) से आये अज्ञात व्यक्तियों उसका मोबाइल **Realme X**11 **5G** छीनकर कायमगंज की तरफ भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 0016/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 02 बाल आपचारी गण को छीने गये मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर दोनो बाल अपचारियों नें अपने जुर्म से इकबाल करते हुये शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बाल अपचारी I का अपराधिक इतिहास –:-

01.मु0अ0सं0 0016/25 धारा 309(4)/317(2) कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
02.मु0अ0सं0 0016/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना कलान जनपद शाहजहांपुर

बाल अपचारी II उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –:-

01.मु0अ0सं0 0016/25 धारा 309(4)/317(2) कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

01.व0उ0नि0 सुरजीत सिंह कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ।
02.का0 रोहित कुमार
03.का0 मनोज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज | **आजीवन कारावास** | **दि0- 27.01.2025**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पप्पू उर्फ इन्द्रेश पुत्र रामफल उर्फ रामपाल निवासी नगला दमू थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-24/2001 वाद सं0- 4522/2024 धारा- 302 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 27.01.2025 को मा0 न्यायालय ए0जी0जे0 05 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

एडीजीसी श्री भानु प्रकाश मिश्र

को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 कृष्णवीर सिंह

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज	06 अभियुक्त/अभियुक्ता आजीवन कारावास	दि0-27.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगणों 1.रामनिवास वर्मा पुत्र स्व0 जयराम 2.प्रेमसागर पुत्र स्व0 जयराम 3.विद्यासागर पुत्र स्व0 जयराम 4.लौगं श्री पत्नी रामनिवास 5.गंगा श्री पत्नी प्रेमसागर 6.पुष्पा पत्नी विद्यासागर समस्त निवासी गण शेखपुर रुस्तमपुर थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 165/2013 वाद स0-346/2013 धारा- 147,323,324,325,302 भा0द0वि0 थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 27.01.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व 26-26 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी- श्री अनुज प्रताप सिंह

एडीजीसी- श्री संजीव कुमार पाल

को0मो0 हे0का0 प्रमोद कुमार

पैरोकार हे0का0 मनोज कुमार